

केंटीन/फोटोकॉपी मशीन संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

नोट:- केन्टीन:-

1. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग पन्ना के पत्र कमांक 364/तक/भवन/ 2016-17 दिनांक 09.05.2016 के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु केन्टीन का किराया रूपये 10,250/- रूपये प्रतिमाह निर्धारित है।

फोटोकॉपी कक्ष:-

2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग पन्ना के पत्र कमांक 364/तक/भवन/ 2016-17 दिनांक 09.05.2016 के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु फोटोकॉपी कक्ष का किराया रूपये 975/- रूपये प्रतिमाह निर्धारित है।

फोटोकॉपी कक्ष:-

3. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग पन्ना के पत्र कमांक 1623/तक/भवन/ 2017-18 दिनांक 01.06.2017 के अनुसार वर्ष 2017-18 हेतु फोटोकॉपी कक्ष का किराया रूपये 650/- रूपये प्रतिमाह निर्धारित है।

केंटीन/फोटोकॉपी :-

जिला न्यायालय परिसर के अंदर सर्विस बिल्डिंग के अंतर्गत

संचालन का स्थान

निर्मित केंटीन कक्ष एवं 02 कक्ष फोटोकॉपी के लिये निर्धारित।

-: निविदा फार्म :-

प्रथम पक्ष :-

निविदाकर्ता का
नाम
पता

मोबाइल

द्वितीय पक्ष :-

जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना म0प्र0

जिला न्यायालय परिसर पन्ना स्थित सर्विस बिल्डिंग के अंतर्गत केंटीन/फोटोकॉपी मशीन, (01 कक्ष केंटीन, 02 कक्ष फोटोकॉपी) के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं विज्ञापन के माध्यम से आमत्रित की जाती है :-

॥ निर्धारित शर्तें ॥

- निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं "जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना" के नाम से दिनांक 08.09.2017 के साथकाल 5:00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- अनुज्ञा शुल्क जिला न्यायालय पन्ना स्थित सर्विस बिल्डिंग में पूर्व से संचालित केन्टीन कक्ष हेतु किराया 10,250/- रूपये, पूर्व से संचालित फोटोकॉपी मशीन हेतु किराया 975/- प्रतिमाह की दर से तथा नवीन फोटोकॉपी मशीन जो संचालित किया जाना प्रस्तावित है, का किराया 650/- प्रतिमाह निर्धारित है।

3. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ केन्टीन संचालन हेतु अग्रिम रूपये 25,000/-, फोटोकॉपी संचालन हेतु 10,000/- की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट से द्वितीय पक्ष के हित में देय होंगे, जो जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उक्त निविदाकर्ता की राशि अमानत के रूप में एक वर्ष के लिये द्वितीय पक्ष के पास सुरक्षित जमा रहेगी तथा शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदाएं असफल होंगी, उनकी राशि निविदा की वयन प्रक्रिया के एक सप्ताह के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।
4. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बंद निविदाएं प्राप्त होने पर निर्धारित तिथि 09.09.2017 को अध्यक्ष/सदस्य रख-रखाव एवं देख-रेख समिति, जिला- न्यायालय पन्ना के समक्ष निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोले जाकर अतिम रूप दिया जावेगा, जिसपर अधिकतम निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी। उक्त राशि 6 माह की अग्रिम राशि चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से केन्टीन संचालन के एक सप्ताह पूर्व अनुबंध सहित द्वितीय पक्ष ‘कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना’ के हित में जमा कराना होगा। आगामी शेष 6 माह की राशि प्रथम 6 माह समाप्त होने के 15 दिवस शेष रहने के पूर्व जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. केन्टीन/फोटोकॉपी मशीन जिन निविदा कर्ताओं के पक्ष में अतिम रूप से स्वीकार होती है, एक वर्ष के संचालन के उपरांत यदि वह आगामी एक वर्ष के लिये संचालन चाहते हैं, तो पूर्व से निर्धारित किराये में 10प्रतिशत की वृद्धि पर देय होगी। जिसके लिये निविदाकर्ताओं को संचालन अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तों के अधीन लिये गये केन्टीन/फोटोकॉपी मशीन एक वर्ष की अवधि के लिये होगी, यदि निविदाकर्ता द्वारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व संचालन बंद किया जाता है तो अमानत के रूप में जमा राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा जावेगी।
7. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा की शर्तों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं भी परिस्थितियों में उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केन्टीन/फोटोकॉपी का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर की राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी।
8. केन्टीन/फोटोकॉपी संचालक के संदर्भ में प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का क्षेत्राधिकार/निराकरण जिला न्यायाधीश पन्ना को होगा, जो प्रथम पक्ष पर बंधनकारी होगा।
9. निविदाकर्ता द्वारा केन्टीन/फोटोकॉपी मशीन के संचालन के संदर्भ में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन कार्य नहीं करेगा, ऐसा किये जाने पर अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
10. केन्टीन/फोटोकॉपी संचालनकर्ता, स्वच्छता/साफ-सफाई/पारदर्शिता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। किन्हीं भी परिस्थितियों पर उपरोक्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुज्ञा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी।
11. केन्टीन/फोटोकॉपी संचालन कर्ता को विद्युत के निस्तारण/विस्तारण के संबंध में स्वयं के नाम से नियमानुसार विद्युत कनेक्शन/मीटर का संयोजन कराया जाकर भुगतान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

12. केन्टीन संचालनकर्ता को खाद्य सामग्री विक्रय की दरों का अनुमोदन द्वितीय पक्ष से कराया जाना आवश्यक होगा, साथ ही अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।
13. फोटोकॉपी संचालनकर्ता को सर्वोच्च प्राधिकारिता पर दरों का निर्धारण करते हुये सूची फोटोकॉपी कक्ष के सामने एवं जिला न्यायालय के सूचना पटल पर चाला करना अनिवार्य होगा।
14. केन्टीन /फोटोकॉपी संचालन कर्ताओं को केन्टीन /फोटोकॉपी का संचालन कार्य दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक ही निर्धारित रहेगा। यदि बिना किसी पूर्व सूचना दिये कार्य दिवसों में केन्टीन /फोटोकॉपी मशीन का संचालन बंद होना पाया जाता है तो कमशः 1000 / 500 रुपये प्रतिदिन की दर से शासित अधिरोपित की जावेगी।
15. न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां एवं मादक पदार्थों अथवा दृव्यों जैसे धूम्रपान, तम्बाकू बीड़ी, सिगरेट इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, सलिल पाये जाने पर विधि अनुसार संचालनकर्ता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।
16. केन्टीन /फोटोकॉपी संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचानपत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
17. निविदाएं प्राप्त करने का समय प्रत्येक कार्य दिवस में 11.00 बजे से 5.00 बजे शाम तक रहेगा।
18. केन्टीन /फोटोकॉपी संचालन हेतु अनुबंध 500/- रुपये के स्टाम्प में मान्य होगा, जो प्रथम पक्ष के लिये बंधनकारी होगा एवं निविदाएं सफल होने पर सफल निविदाकर्ता को 15 दिवस के अंदर अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

“मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।”

जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना
हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

संलग्न :— 1. कमेटी संचालन हेतु दर की सूची।
2. केन्टीन /फोटोकॉपी मशीन नक्शा ।
समिति द्वारा प्रस्तावित